राजस्व अपील संख्या 279 / 2022
अनवान
कल्याणसिंह गहलोत बनाम दयाल चौधरी वगैरा

दिनांक 9–6–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39 / 2022 अनवान दयाल चौधरी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर मे पारित आदेश दिनांक 19--5–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है ।
वकील अपीलान्ट श्री बाकाराम चौधरी ने आज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया किया कि अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नही चाहता है, इसलिए उक्त अपील को जरिये विड्रोल खारिज करने का निवेदन किया है। रेस्पो0 एक व दो की ओर से गोपालसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता ने दिनांक 8.9.2022 को वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली हो । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 अधिवक्ता ने कोई आप्पति नही की है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किये गये ।
चूँकि अपीलांट उक्त अपील को आगे नही चलाना चाहता है अतः अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर इस न्यायालय मे विचाराधीन उक्त अपील जरिये विड्रो खारीज की जाती है । पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर